झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
[चतुर्दश(शीतकालीन)सत्र]

बुधवार,तिथि– 26 दिसम्बर, 2018 (ई0)
05 पौष,1940 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय–11:00 बजे पूर्वाह्न)

–:प्रश्नोत्तरः–

(01)– सभा के गत–सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)– अल्प–सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)– शून्यकाल की सूचनाएँ।

–:ध्यानाकर्षण–सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्यः–

(04)– श्री योगेश्वर महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(05)–श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(06)–श्री राज सिन्हा,स0वि0स की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(07)– श्री आलमगीर आलम,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(08)– सर्वश्री राधाकृष्ण किशोर,रामचन्द्र सहिस एवं श्री भानू प्रताप शाही, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उस पर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग)की ओर से वक्तव्य।

–: समितियों का गठन :–

(09)– झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य–संचालन के नियम के अनसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(10)-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,213 में निहित प्रावधान के आलोक में वर्णित अधिनियम से संबंधित निर्गत विभिन्न संकल्पों, अधिसूचनाओं एवं आदेश की एक-एक प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना।

(11)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(12)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

(13)- वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक,2018

(14)- प्रभारी मंत्री(संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक,2018''को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(15)- प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(16)- प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक,2018'' पर विचार हो।

(17)- प्रभारी मंत्री(संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक,2018'' स्वीकृत हो।

विधेयक की वापसी

(18) श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-11 अगस्त,2017को सभा द्वारा यथा पारित ''कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक-2017'' जिसे माननीय राज्यपाल महोदया की

कृ0पृ030/-

अनुमति के लिए प्रेषित किया गया था और चूँकि इसी बीच औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग(DIPP) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डुईंग विजनेस(Ease of Doing Business) के तहत तैयार किए गए विजनेस रिफार्मस ऐक्शन प्लान(Business Reforms Action Plan),2017 के अन्तर्गत अन्य के अतिरिक्त कारखाना प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों के अधिकाल कार्य के घटों की वर्त्तमान सीमा तीन माह में 50 घंटे से बढ़ाकर 50 घंटे प्रतिमाह करने तथा कारखाना प्रतिष्ठानों में नियोजित महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में नियोजन की अनुमति प्रदान करने संबंधी संशोधन की अनुशंसा की गयी है।

और चूँकि यह भी कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा से दिनांक–11 अगस्त,2017 को यथापारित कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2017 को वापस कर दिया गया है।

अतएव सभा द्वारा यथापारित उपर्युक्त विधेयक के स्थान पर एक नया परिमार्जित विधेयक विचार के लिए शीघ्र लाये जाने के उद्देश्य से झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–110(ख) में निहित प्रावधानों के अधीन मैं उक्त कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2017 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(19) श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि चूंकि मजदूरी भुगतान अधिनियम,1936 एक केन्द्रीय अधिनियम है तथा केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–6 में संशोधन कर दिनांक–16 फरवरी,2017 को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें झारखण्ड संशोधन के अभीष्ट की भी पूर्ति होती है।

अतः इसके आलोक में दिनांक–16 मार्च, 2016 को सभा द्वारा पारित मजदूरी भुगतान (झारखण्ड संशोधन)विधेयक,2016 जो सम्प्रति माननीय राष्ट्रपति की सहमति हेतु रक्षित है, को झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम–110 (ख) में निहित प्रावधानों के अधीन सभा से वापस हो।

-: विधायी कार्य :-

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2018

(20)-उच्च,शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव , प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(21)- उच्च,शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।

(22)- उच्च,शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि ''झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018'' पर विचार हो।

(23)- उच्च,शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की प्रभारी मंत्री डॉ0 नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि ''झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018'' स्वीकृत हो।

झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2018

(24)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य)श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि''झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन)विधेयक,2018'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(25)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य)श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(26)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री(संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन)विधेयक, 2018'' पर विचार हो।

(27)- वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य)श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड माल एवं सेवा कर(संशोधन)विधेयक, 2018'' स्वीकृत हो।

(28)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-08/2018-3700/वि0स0,राँची,दिनांक-25/12/18

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0/-

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–08/2018–3700../वि0स0,राँची,दिनांक–25/12/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/12/18

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–08/2018–3700../वि0स0,राँची,दिनांक–25/12/18

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान–सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

25.12.18